

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 47/2015



1. भंवर लाल
 2. रामेश्वर
 3. सूरजमल
 4. बाबूलाल
- } पुत्रान रघुनाथ जातियान गूजर निवासीगण सीसवाली तहसील मांगरोल
जिला बारां
5. रामभरोसी पुत्री रघुनाथ पत्नि रामकरण जाति गूजर निवासी नयागांव तह0 दीगोद जिला कोटा
 6. मनभर पुत्री रघुनाथ पत्नि रामेश्वर जाति गूजर निवासी ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद जिला कोटा
- ...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. अमरलाल पुत्र कान्हा
 2. हीरालाल पुत्र अमरलाल
 3. रेवडीलाल पुत्र अमरलाल
 4. महावीर पुत्र अमरलाल
- } जातियान बैरवा निवासीगण कालूपुरा सीसवाली तहसील मांगरोल
जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री सुनील कुमार गौड

वकील प्रतिवादीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांक: 19.05.2015

निर्णय दिनांक : 15.11.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की खाता संख्या 597 नया के खसरा नं0 861 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 862 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 908 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 909 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 910 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 913 रकबा 1.17 है0, खसरा नं0 917 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 927 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 934 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 937 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 939 रकबा 0.31 है0 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 5.10 है0 आराजी स्थित है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 का उक्त आराजी से किसी प्रकार को कोई संबंध नहीं है फिर भी प्रतिवादी नं0 1 ता 4 वादीगण नं0 1 ता 6 के कब्जे काशत में दखलअंदाजी करते रहते हैं व आराजी पर कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं। जिसका उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर

वादीगण नं० 1 ता 4 के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादीगण की आराजी खसरा नं० 861 रकबा 0.16 है०, खसरा नं० 862 रकबा 0.16 है०, खसरा नं० 908 रकबा 0.46 है०, खसरा नं० 909 रकबा 0.37 है०, खसरा नं० 910 रकबा 0.10 है०, खसरा नं० 913 रकबा 1.17 है०, खसरा नं० 917 रकबा 0.70 है०, खसरा नं० 927 रकबा 0.84 है०, खसरा नं० 934 रकबा 0.32 है०, खसरा नं० 937 रकबा 0.51 है०, खसरा नं० 939 रकबा 0.31 है० कुल किता 11 कुल रकबा 5.10 है० वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं करें और नही ही अपने वैध या अवैध प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 19.05.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्जे सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री बुद्धि प्रकाश मालव ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण क्रम 1 व 4 द्वारा आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा आज दिनांक तक जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। पत्रावली में दिनांक 15.11.2018 को वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण में दिनांक 15.11.2018 को सूरजमल पुत्र रघुनाथ व रामेश्वर पुत्र रघुनाथ के बयान करवाये गये जो शामिल फायल है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया है कि उसकी कब्जे व शामलाती खाते की आराजी ग्राम सीसवाली की खसरा नं० 861 रकबा 0.16 है०, खसरा नं० 862 रकबा 0.16 है०, खसरा नं० 908 रकबा 0.46 है०, खसरा नं० 909 रकबा 0.37 है०, खसरा नं० 910 रकबा 0.10 है०, खसरा नं० 913 रकबा 1.17 है०, खसरा नं० 917 रकबा 0.70 है०, खसरा नं० 927 रकबा 0.84 है०, खसरा नं० 934 रकबा 0.32 है०, खसरा नं० 937 रकबा 0.51 है०, खसरा नं० 939 रकबा 0.31 है० कुल किता 11 कुल रकबा 5.10 है० में प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 बदनियति रखते है एवं वादीगण को काश्त करने में दखलअंदाजी करते है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी क्रम 1 अमरलाल पुत्र कान्हा, प्रतिवादी क्रम 2 हीरालाल पुत्र अमरलाल, प्रतिवादी क्रम 3 रेवडीलाल पुत्र अमरलाल व प्रतिवादी क्रम 4 महावीर पुत्र अमरलाल जाति बैरवा निवासी कालूपुरा सीसवाली को जर्जे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण की कब्जे व शामलाती खाते की आराजी ग्राम सीसवाली की खसरा नं० 861 रकबा 0.16 है०, खसरा नं० 862 रकबा 0.16 है०, खसरा नं० 908 रकबा 0.46 है०, खसरा नं० 909 रकबा 0.37 है०, खसरा नं० 910 रकबा 0.10 है०, खसरा नं० 913 रकबा 1.17 है०, खसरा नं० 917 रकबा 0.70 है०, खसरा नं० 927 रकबा 0.84 है०, खसरा नं० 934 रकबा 0.32 है०, खसरा नं० 937 रकबा 0.51 है०, खसरा नं० 939 रकबा 0.31 है० कुल किता 11 कुल रकबा 5.10 है० में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व वादीगण को

दूरक काश्त करने देवें। प्रतिवादी क्रम 5 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) को आदेश दिया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मौके पर वादीगण की खाते व कब्जे की आराजी ग्राम सीतवाली की किता 11 रकबा 5.10 है0 का सीमाज्ञान करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाय

